पत्रांकः 1571 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ई–22/पी-3 दिनांकः 20.10.2011

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरशन ऑफ उत्तराखण्ड लि. में कार्यरत कार्मिकों को लेखा वर्ष 2010–11 के लिए तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान की निम्नांकित प्रतिबन्धों सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

2. तदर्थ अनुग्रह की सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों को जिनके पुनरीक्षित वेतनमान में रू0 4200 ग्रेड पे जिसका अपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू0 11,000 तक है, को वर्ष 2010–2011 के लिए तदर्थ अनुग्रह के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ अनुग्रह धनराशि देय होगी। इस प्रायोजन के लिए दिनांक– 31.मार्च 2011 को ग्राह्य परिलब्धियों के रूप में रू0 3454.00 होगी। (रू03500X30/30.4 = रू0 3453.95 को सुगमांकित कर रू0 3454.00) कारपोरेशनादेश के अनुसार किये जाने वाले समस्त भुगतान रूपये के निकटतम में सुगमांकित कर किये जाएगें। तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
3. तदर्थ अनुग्रह की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियो, जिनके पुनरीक्षित वेतनमान में रू0 4200 का ग्रेड वेतन अपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू0 11,000/–तक है, को ही अनुमन्य होगा।

   वेतनमान रू0 4200 ग्रेड वेतन का अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500–11000 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें समयमान वेतनमान के रूप में उच्च वेतनमान अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्राःस्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक–01.01.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में बने रहने के लिए विकल्प दिये हो, के सम्बन्ध में पद के वेतनमान का अधिकतम रू0 3500/–तक माना जायेगा परन्तु रू0 4200 के ग्रेड वेतन में अपुनरीक्षित वेतमान रू0 6500–11000 (पूर्ववर्ती रू0 3500/–) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ अनुग्रह अनुमन्य नहीं होगा।
4. इन आदेशों के अन्तर्गत केवल वही अराजपत्रित कर्मचारी तदर्थ अनुग्रह सुविधा हेतु पात्र होंगे, जो दिनांक–31मार्च 2011 को कारपोरेशन की नियमित सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2010–11 की अवधि के दौरान न्यूनतम छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों का आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जायेगी।
5. तदर्थ अनुग्रह की अधिकतम व्यय धनराशि रू0 3500/– प्रतिमाह की परिलब्धियाँ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात जिन कर्मचारियों की परिलब्धियाँ रू0 3500/– से अधिक थी उनके लिए तदर्थ अनुग्रह धनराशि का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियाँ रू0 3500/– प्रतिमाह हैं।
6. उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसा कि कमशः मूल नियम 9(21)(I), 9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा।
7. मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पर्वतीय भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष भत्ता, आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
8. ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध वर्ष 2010–2011 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो, जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद वर्ष 2010–2011 में कोई दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि देय नहीं होगी।
9. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह के आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।
10. अनुमन्य तदर्थ अनुग्रह की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नगद में किया जायेगा।

क्रमशः.................पेज–2

11. तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिये लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकार पत्र (लैटर ऑफ आथोरिटी) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी और कारपोरेशन के उक्त आदेशों के आधार पर ही स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान ग्राहय होगा।
12. तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान कारपोरेशन के चालू वित्तीय वर्ष के आय व्यय उसी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1571 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ई–22 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
2. निदेशक (परि0 एवं अनु0) / (परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक (वित्त–प्रभारी) एवं क0स0, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
4. समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक पिटकुल ....।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
6. उपमुख्यलेखाधिकारी, पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
7. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल ....।
9. अधिशासी अभियन्ता, सूचना एवं प्रोद्योगिकी, पिटकुल को इस आशय के साथ की वह आदेश की एक प्रति पिटकुल की वैबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय ज्ञापन पंजिका / कट फाइल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)